कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय गणित में चयनित आशार्थियों की नियुक्ति आदेश शिविरा – मा /संस्था/सी–3 /नियुक्ति–गणित/पीएससी/ 2015 दिनांक 17.07.15 द्वारा किये जाने के उपरान्त निम्न आशार्थियों की नियुक्ति प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (गणित) के पद पर वरियताक्रमानुसार राज्य में रिक्त पदों पर करते हुए निम्न विद्यालयों में पदस्थापन किया गया :–

1. श्रीमती निशा चन्द्रा – रा. आदर्श उ.मा.वि., गुलर (अलवर)
2. श्री अमन दीप मंगल – रा.उ.मा.वि., जखराना (अलवर)
3. श्री विजय कुमार गोयल – रा.उ.मा.वि., पूगल (बीकानेर)
4. श्री गुरूमीत सिंह – रा.उ.मा.वि., नीमराणा (अलवर)
5. श्री नरेन्द्र कुमार – रा.उ.मा.वि., गुढ़ा विश्नोइयां (जोधपुर)
6. श्री सुनील सोनी – रा.उ.मा.वि., बेलवा (जोधपुर)
7. श्री शाकेन्द्र कुमार – रा.उ.मा.वि., ओसियां (जोधपुर)
8. सुश्री ज्योति – रा.उ.मा.वि., बेरी जतनपुरा (नागौर)
9. श्री ओमप्रकाश खटीक – रा.उ.मा.वि., टेपू (अलवर)

उक्त आशार्थियों ने अपने नवपदस्थापन आदेशों से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ, जोधपुर में SBCW 7599/2015 दायर करते हुए अपने गृह जिले में नियुक्ति/पदस्थापन करने का अनुतोष चाहा है ।
माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर ने अपने पारित निर्णय दिनांक 15.12.15 में पूर्व पारित निर्णय SBCW 15668/2012 मोनिका मील बनाम उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर दिनांक 03.10.12 के आधार पर याचिकाकर्त्ताओं को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर निस्तारण करने का कहा है ।

अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा याचिकाकर्त्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदन के साथ–साथ SBCW 15668/2012 मोनिका मील बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.10.12 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त वरियता सूची, रिक्त पदों की स्थिति का अध्ययन विश्लेषण किया गया ।

यह पाया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) गणित के पद की रिक्तियों की विज्ञप्ति राज्य भर के पदों की जारी की गई है तथा चयनित आशार्थियों की वरियता भी राज्य स्तर की जारी की गई है । SBCW 15668/2012 मोनिका मील बनाम उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर का निर्णय द्वितीय

वेतन श्रृंखला (व.अ.) के पद के लिये है । याचिकाकर्त्ताओं ने अपने अभ्यावेदन में मूलतः मात्र न्यायालय निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने गृह जिले में पदस्थापन किये जाने का निवेदन किया है । कोई विशेष तथ्य नहीं रखे हैं । यह भी पाया गया कि प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) का पद राज्य सेवा स्तर RES का है। इस पद पर कार्यरत लोक सेवक की सेवायें विभाग द्वारा पूरे राज्य में कहीं भी विद्यालय हित/छात्र हित व राज्य हित में ली जा सकती है । इस आधार पर इन याचिकाकर्त्ताओं का किया गया पदस्थापन सही व राज्य हित में हैं । उक्त आधार पर इनका अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है । सभी अवगत हों ।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/को.के./7599/2015 दिनांकः 20.5.16

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा, विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर
3. उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जयपुर/भरतपुर/भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II) ।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
6. संबंधित प्रधानाचार्य,
7. संबंधित कार्मिक
8. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर